



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक D-332 / छा0क0 / रै0रो0 / 2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17-08-2021

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

विषय:- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

सत्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं।

विषयांतर्गत निवेदन है कि नये शिक्षा सत्र 2021-22 का शुभारंभ हो चुका है इसी परिप्रेक्ष्य में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अधिनियम 2009 के अनुसार विभिन्न समितियों का गठन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जानी है। एण्टी रैगिंग अधिनियम 2009 की समस्त जानकारी यू.जी.सी की वेबसाइट www.ugc.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी यू.जी.सी को भेजवाते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को भेजवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद

भवदीय

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पू0क0 / D-333 / छा0क0 / रै0रो0 / 2021
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17-08-2021

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (एण्टी रैगिंग सेल) की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 311 सी शास्त्री भवन नई दिल्ली (एण्टी रैगिंग सेल) की ओर सूचनार्थ।
3. अपर, मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन, वल्लभ भवन भोपाल, की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 शासन सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सचिव के माध्यम से मा0 कुलपति जी / कुलसचिव जी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी विश्वविद्यालय आई टी सेल की ओर इस आशय साथ कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रमुखता के साथ अपलोड करें।
7. कार्यालय प्रति।

11/8/2021

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल